	23 को पेश हो।
18/10/23	पत्रावली प्रस्तुत /वकीला/वकुला पीठाधीन अधिकारी आज कार्यबहुलता पर है। वहः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26.12.23 को पेश हो।
26.12.23	पत्रावली प्रस्तुत /वकीला/वकुला पीठाधीन अधिकारी आज अल्पकार्य पर है। वहः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7.3.24 को पेश हो।
7.3.24	पत्रावली प्रस्तुत /वकीला/वकुला पीठाधीन अधिकारी आज अल्पकार्य पर है। वहः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29.4.24 को पेश हो।
29/4/24	पत्रावली पेश। पक्षगण हाजिर। आप 1ज के प्रा.पत्र बहस सुनी। वर्तमान प्रा. पत्र के जरिए कुछ आदेश आदेश 9 नियम 5 के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	पेश किया गया था। न्यायालय पूर्व में जारी अंतिम डिक्री की क्रियान्विति स्थगित करने बाबत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति प्रदान करने हेतु पेश किया गया था। जिस पर अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश कर कथन किया कि मूल आवेदन आदेश 9 नियम 13 ही पोषणीय नहीं होने से वर्तमान प्रा. पत्र खारिज किया जावे। अगर प्रार्थी अंतिम डिक्री से आहत हो तो उसकी अपील करें। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त भूमि पर मेरा पूर्व से ही कब्जा रहा है तथा डिक्री की आड़ में मुझे बेदखल करना चाहता है। अतः रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश किया जावे। वकील अप्रार्थी ने कहा कि आवेदन आदेश 9 नियम 13 निस्तारित नहीं हुआ है अतः धारा 151 के तहत राहत पाने का कोई औचित्य नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। धारा 151 में यह प्रावधान है कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय के आदेश के दुरुपयोग के निवारण के लिए न्यायालय को अन्तर्निहित प्रक्रिया प्रदान करता है। वर्तमान प्रकरण में पूर्व में जारी अंतिम डिक्री के दुरुपयोग के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रतीत नहीं है व विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब तक किसी आदेश पर स्थगन न किया जावे तब तक उक्त आदेश की क्रियान्विति को नहीं रोका जा सकता। वर्तमान प्रा. पत्र के तहत न्यायालय के आदेश की पालना को रोकने बाबत यह प्रा. पत्र पेश किया गया है जो धारा 151 सी.पी.सी. के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाय हुक्म की जारी हुई
	दाखिल दफ्तर है।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)